

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/453A/2012

दर्ज दिनांक:-17.02.2012

1. भारती पता-प्रार्थी

बनाम

2. विजयसिंह पता-अप्रार्थीगण

उपस्थित:

राजेन्द्रसिंह

प्रार्थी अभिभाषक

पुष्पेन्द्रसिंह

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-03.04.2018

यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188 आरटीए के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादीगण नाबालिक व विलायत मुस0 हुशयारी के प्रार्थना पत्र पर पेश हुई। वादीगण ने जारिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि उभयपक्ष कारान के मध्य आपसी समझौता हो गया है। अतः वे अपने दावा को आगे नहीं चलाना चाहते।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थिया हुशयारी व उनके अभिभाषक को सुना। प्रार्थिया अपने दावा को आगे नहीं चलाना चाहती अतः दावा वादीगण विद्धों किये जाने पर इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर,भरतपुर

